



Since 1971

डॉ०पी०द०ब०हि० राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार – 246149 (गढ़वाल) उत्तराखण्ड

प्रो० बी०एस०नेगी प्राचार्य

Contacts : prigpckotd-hedu@uk.gov.in , 9412112519

लो०सू० / ७० / 2026-27

दिनांक: 30 सितम्बर, 2026

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु अधिनियम की भावना एवं उसके प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित समयसीमा का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए महाविद्यालय स्तर पर कार्यरत समस्त अधिकारियों से अपेक्षा है कि, सूचनार्थी को अंतिम समय की प्रतीक्षा किए बगैर वांछित और धारित सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराना, संबंधित का दायित्व होगा। सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के त्वरित और समयबद्ध निस्तारण के लिए महाविद्यालय स्तर पर आंतरिक मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण निम्नवत किया जाता है—

1. सूचना अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत विभाग स्तर पर धारित समस्त भौतिक अभिलेखीय सूचना एवं डिजिटल रूप में धारित सूचनाएं सम्मिलित हैं।
2. समस्त विभागीय अधिकारियों (विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/अन्य) से अपेक्षा है कि यथा संभव पब्लिक डोमेन की सूचनाएं महाविद्यालय के आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें जिससे सूचना सार्वजनिक रूप से सभी के लिए सुलभ हो सके।
3. सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत महाविद्यालय को प्राप्त आवेदन की तिथि से 03 कार्यदिवस के अन्दर सम्बन्धित विभाग/कार्यालय/अधिकारी द्वारा सूचना अधिकार के तहत मांगी गयी धारित सूचना के अभिलेखों के रू० 02 प्रति पेज की दर से शुल्क की गणना करते हुए लिखित रूप में महाविद्यालय सूचना लोक सूचना अधिकारी को उपलब्ध कराना अपेक्षित होगा, जिससे निर्धारित समयसीमा के अन्दर सूचना आवेदक को वांछित शुल्क के संबंध में अवगत कराया जा सके।
4. निर्धारित समयावधि अंतर्गत वांछित शुल्क की सूचना उपलब्ध न कराने की दशा में धारित सूचना के अभिलेखों के रू० 02 प्रति पेज की दर से शुल्क की देयता संबंधित अधिकारी की होगी।
5. सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन की तिथि (आवेदन पत्र पर अंकित एवं महाविद्यालय को प्राप्त) से अधिकतम 15 दिवस के अन्दर धारित वांछित सूचना, महाविद्यालय लोक सूचना अधिकारी को उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित होगा, जिससे अंतिम समयसीमा की प्रतीक्षा किए बिना शीघ्र से शीघ्र सूचना संबंधित सूचना आवेदक को उपलब्ध कराया जा सके। निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध न कराये जाने पर समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिकारी का होगा।
6. संबंधित विभागीय अधिकारी द्वारा मांगी गयी वांछित धारित सूचना/छायाप्रति दो (02) प्रतियों में उपलब्ध कराना महाविद्यालय लोक सूचना अधिकारी को निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित होगा।

7. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में, जिसके कारण सूचना देयता में विलम्ब की संभावना है, संबंधित अधिकारी द्वारा तत्काल लिखित रूप महाविद्यालय प्राचार्य को अवगत कराना होगा जिसकी प्रतिलिपि महाविद्यालय लोक सूचना अधिकारी को प्रेषित की जाएगी।

8. किसी भी प्रकार की त्रुटिपूर्ण/भ्रामक/सूचना छिपाए जाने की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व संबंधित अधिकारी का होगा।

9. त्वरित और समयबद्ध सूचना प्रेषण के लिए महाविद्यालय प्राचार्य अथवा उनके निर्देशों के आलोक में महाविद्यालय लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपेक्षित सूचना/कार्यवाही के संबंध में अनुपालन सुनिश्चित करना अपेक्षित होगा।


30/09/2026
प्रो० (डॉ०) ए० एस० नेगी
प्राचार्य
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
कोटद्वार (गढ़वाल)

पृष्ठांकन: लो०सू० / / 2026-27 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रो० (डॉ०) दीपक कुमार पाण्डेय, लोक सूचना अधिकारी, डॉ० पी०द०ब०हि० राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोटद्वार (गढ़वाल)।

2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रभारी, डॉ० पी०द०ब०हि० राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोटद्वार (गढ़वाल)।

3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, डॉ० पी०द०ब०हि० राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोटद्वार (गढ़वाल)।

4. समस्त शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक सहयोग हेतु।


30/09/2026
प्राचार्य
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
कोटद्वार गढ़वाल (उत्तराखण्ड)